

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)(सेवानिवृत्त)/अलेसे-III/765

दिनांक:- 13/08/21

आदेश संख्या 441/2021-22

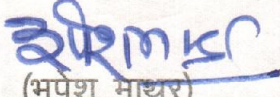
विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश सं. 375/2018-19, क्रमांक एफ.4(ई) (सेवानिवृत्त) अलेसे-III/3143 दिनांक 15.03.2019 में क्रम संख्या 3 पर अंकित श्री रमजान खां, कनि. लेखाकार के विरुद्ध कार्मिक (क-3/जांच) विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक प.1(142)कार्मिक/क-3/2010 दिनांक 16.08.2010 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने के कारण पूर्व में वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के अनुसरण में प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गए थे।

श्री रमजान खां, कनि. लेखाकार का दिनांक 01.11.2019 को आकस्मिक निधन हो जाने के फलस्वरूप शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक: प.1(142) कार्मिक/क-3/2010 दिनांक 15.09.2020 द्वारा श्री रमजान खां के विरुद्ध लंबित उपरोक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त किया जा चुका है।

अतः वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमजान खां के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।

विभाग द्वारा जारी पूर्व सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 375/2018-19 दिनांक 15.03.2019 का शेष भाग पूर्वानुसार यथावत रहेगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ4(ई)(सेवानिवृत्त)/अलेसे-III/765

दिनांक:- 13/08/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय.....
4. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष.....
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्रीमती साईमन बेगम पत्नि स्व. श्री रमजान खां, सी-232, सूर्यानगर, अलवर।
8. अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक-I,II,III) कार्यालय हाजा।
9. डीपीसी/जांच शाखा/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/निजी पत्रावली
10. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)